भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 961

(जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया)

सहारा द्वारा निवेशकों का पैसा वापस किया जाना

961. श्री अभय कुमार सिन्हाः
श्री अरुण भारतीः
श्री सुदामा प्रसादः
श्री रमाशंकर राजभरः
श्रीमती जोबा माझीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहारा-सेबी विवाद के कारण लाखों छोटे निवेशकों का पैसा वर्षों से सहारा में फंसा हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सहारा इंडिया कंपनी मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सहारा में फंसे पैसे को वापस करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा सहारा इंडिया के खाताधारकों की संख्या कितनी है तथा खातों में कितनी धनराशि जमा है;

(ग) क्या यह सच है कि सहारा के जमाकर्ताओं द्वारा दावा किए जा सकने वाले अधिकतम रिफंड की सीमा, फिर चाहे उनकी निवेशित राशि कितनी भी हो, अधिकतम 10,000 रुपये तय की गई थी तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार केंद्रीय सहकारी समितियां रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के माध्यम से एकत्रित 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का विचार रखती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त पैसे के भुगतान के लिए शुरू किए गए पोर्टल में कई तकनीकी खामियां हैं तथा अब तक केवल 500 करोड़ रुपये का रिफंड किया गया है; और

(च) क्या सरकार के पास भविष्य में ऐसी वित्तीय त्रासदियों से बचने के लिए कोई योजना/नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (च): मंत्रालय ने दिनांक 31.10.2018 के आदेश द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(1)(क) और (ग) के तहत निम्नलिखित कंपनियों की जांच गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को सौंपी गई है:

क) सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड (एसक्यूएसयूपीआरएल)
ख) सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड (एसक्यूजीएमएल)
ग) सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल)

मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की साथ पठित धारा 219, धारा 212(1)(ग) के तहत एसएफआईओ को दिनांक 27-10-2020 के आदेश के तहत निम्नलिखित कंपनियों की जांच का कार्य सौंपा हैः

क) एंबी वैली लिमिटेड

ख) किंग अंबे सिटी डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ग) सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

घ) सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड

ङ) सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

च) सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31.08.2012 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ-साथ, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और उनके प्रोमोटर-निदेशकों

(सामूहिक रूप से सहाराज के रूप में संदर्भित) को निदेश दिया कि वे अंशदान राशि की प्राप्ति की तारीख से आज की तारीख तक सेबी को @ 15% प्रति वर्ष ब्याज सहित लगभग 3.07 करोड़ वैकल्पिक रूप से पूर्णतया परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों से एकत्रित 25,781.37 करोड़ रुपए की कुल राशि वापस करें जो 31.08.2018 से तीन महीने की अवधि के भीतर पुनर्भुगतान के लिए, अधिकतम ब्याज दर वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों और सेबी के दिनांक 13.02.2013 के कुर्की आदेशों के अनुसरण में, 31.03.2024 तक सेबी द्वारा कुल 15,775.50 करोड़ रुपये (मूल राशि 25,781.37 करोड़ रुपये के विरूद्ध की राशि) वसूल की गई है। सहारा से प्राप्त राशि का आवधिक आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडी में निवेश/पुनः निवेश किया जा रहा है। 31.03.2024 की स्थिति को ब्याज सहित निवेश की गई कुल राशि 20,894 करोड़ रुपये है।

सेबी को 53,687 खातों से जुड़े कुल 19,650 आवेदन प्राप्त हुए। सत्यापन योग्य दस्तावेजों के आधार पर, सेबी ने 17,526 पात्र बांडधारकों के संबंध में 48,326 खातों को शामिल करते हुए कुल 138.07 करोड़ रुपये (अर्थात् 70.09 करोड़ रुपये मूलधन के रूप में और 67.98 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में) का रिफंड किया।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा 2022 के डब्ल्यूपी 191 में दायर 2023 के आईए 56308 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च, 2023 के आदेश के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्देश दिया;

"..... "सहारा-सेबी रिफंड खाता" में पड़ी कुल 24,979.67 करोड़ रुपये की राशि में से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएं, जो बदले में, सहकारी समितियों के सहारा समूह के जमाकर्ताओं के वैध बकायों के विरूद्ध इसका भुगतान करेंगे, जिसका भुगतान वास्तविक जमाकर्ताओं को सबसे पारदर्शी तरीके से और उचित पहचान पर और उनकी जमा राशि का प्रमाण और उनके दावों को सीधे उनके संबंधित बैंक खातों में जमा किया जाना है। इस संवितरण की निगरानी इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी द्वारा की जाएगी, जो श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता की सक्षम सहायता के साथ, जिन्हें न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी के साथ-साथ सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को राशि वितरित करने में सहायता करते हैं। भुगतान करने का तरीका और तौर-तरीका सहकारी

समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता के परामर्श से तैयार किया जाना है.....।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29 मार्च, 2023 के उपरोक्त आदेश के अनुसार, 5000 करोड़ रुपये की राशि "सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट" से 19.05.2023 को सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित की गई थी।

सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) ने सूचित किया है कि सहारा समूह के जमाकर्ताओं से संबंधित प्रश्न के संदर्भ में सहकारी समितियाँ: -

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के अनुपालन में, सहारा समूह की चार बहु-राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए 18.07.2023 को एक ऑनलाइन पोर्टल अर्थात्; सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारायण यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता और स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" https://mocrefund.crcs.gov.in शुरू किया गया है, को उनकी वैध जमाराशियों का रिफंड किया जा सके। वितरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की देखरेख और निगरानी में की जा रही है।

भुगतान सीधे वास्तविक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। वर्तमान में, सहारा ग्रुप ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को उसके सभी सत्यापित दावों के एवज में आधार से जुड़ें बैंक खाते के माध्यम से जमा के प्रमाण और दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद 10,000/- रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है। आवेदन में पाई गई कमियों के मामले में, आवेदक को पुनः प्रस्तुतीकरण पोर्टल (https://mocresubmit.crcs.gov.in) पर कमियों को दूर करने के बाद आवेदन को फिर से जमा करने का अवसर दिया जाता है।

पोर्टल के माध्यम से सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज के 4,29,166 जमाकर्ताओं को अब तक 369.91 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के कार्यान्वयन के लिए 31.12.2024 तक का विस्तार दिया है।

बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 को संशोधित किया गया है और 03.08.2023 से कार्यान्वित किया गया है ताकि अधिनियम को 97वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप बनाया जा सके और लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण को मजबूत करने, सदस्यों के हितों की रक्षा करने, शासन में सुधार करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुधार भी किए जा सके। बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटियों की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय पंजीयक का कार्यालय भी कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

******